Need to relax the eligibility norms of Pradhan Mantri Awas Yojana to facilitate inclusion of needy people in the scheme.-laid

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(**नगीना**) :** प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की वर्तमान पात्रता शर्तें अत्यधिक जटिल और व्यावहारिक दृष्टि से अनुचित प्रतीत होती हैं । उदाहरणस्वरूप, यदि किसी व्यक्ति के घर की छत कच्ची (छप्पर) है, लेकिन बारिश में दीवारें गिरने की आशंका को देखते हुए उसने किसी भी तरह कर्ज लेकर या उधार लेकर दीवारें पक्की करवा लीं, तो वह इस योजना का लाभार्थी नहीं बन सकता । इसी प्रकार, यदि किसी कच्चे मकान वाले परिवार के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है, तो उसे भी इस योजना से वंचित कर दिया जाता है ।

मेरा सुझाव है कि योजना की पात्रता शर्तों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाए, जिससे उन सभी लोगों को वास्तविक लाभ मिल सके, जिनके पास पक्की छत नहीं है । अतः सरकार को इस दिशा में आवश्यक संशोधन करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह वक्तव्य दें ।

?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं आपको बताता हूं ।

?(व्यवधान)

12.06 hrs